nt>

Title: Need to set up Fast Track courts as per the Supreme Court's order.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले इस बात का प्रयास निरन्तर हो रहा है, लेकिन लगता यह है कि आम आदमी न्याय से निरन्तर वंचित होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नीचे की अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक केसेस का बोझा बहुत बढ़ता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिए। Please be brief as there are 39 subjects today.

श्री रामजीलाल सुमन : मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं। यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम आम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का आदेश दिया है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन नहीं किया है।

महोदय, उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने इस समय 1488 फास्ट ट्रैक अदालतों में से 242 फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है और वे काम कर रही हैं जो कुल अदालतों का 15 प्रतिशत हैं। एक तरफ तो उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए, लेकिन दूसरी ओर कुछ राज्य इनका गठन नहीं कर रहे हैं जिससे आम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, इस हेतु फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने के लिए जो भी प्रयास केन्द्र सरकार कर सकती है, जैसे राज्य सरकारों से संपर्क करने, पत्र व्यवहार करने और उनकी बैठकें बुलाने का काम वह करे । यह काम सरकार को जरूर करने चाहिए जिससे आम आदमी को इंसाफ मिल सके।

MR. SPEAKER: Shri Devendra Prasad Yadav, you can associate yourself as you have given notice on the same issue. Please associate yourself.

...(*Interruptions*)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि सभी को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित करने के आदेश दिए हैं। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: If anybody interrupts him now, then he will not be given a chance to speak.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I was going to call you next, but I will not call you if you keep interrupting him like this.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों में जो मुकदमे लंबित हैं उनकी एक लम्बी फेहरिस्त है। जिस गति से राज्यों में न्यायिक विवादों का निपटारा किया जा रहा है उससे यह फेहरिस्त बढ़ती जा रही है और जिस गति से केन्द्र सरकार वादों का निपटारा कराना चाहती है, उस गति से निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए महोदय, गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह एक अहम सवाल है। हम लोग जुडीशियरी पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जिस गति से मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, वह ठीक नहीं है और उनके त्वरित गति से निपटारे हेतु माननीय सदस्य ने मुझसे पहले बोलते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाने की बात कही है। इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं। मैं सरकार से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस बारे में सकारात्मक रुख अपनाते हुए पहल करेगी, ताकि गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल उच्च न्यायालय स्तर पर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि निचली अदालतों से लेकर जिला अदालतों एवं उच्च न्यायलय तक में मुकदमों की जो संख्या बेतहाशा ढंग से बढ़ती जा रही है, उसे कम करने हेतु सम्यक रूप से इस समस्या पर क्या केन्द्र सरकार िवचार करेगी और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का आदेश दिया है, उन्हें बनाने हेतु राज्यों को प्रवृत्त करेगी ताकि करोड़ों की संख्या में जो वाद लंबित पड़े हैं, वे निर्णीत हो सकें ?